टेण्डर नोटिस चाय कैन्टीन

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के प्रांगण स्थित चाय की कैन्टीन का ठेका वर्तमान में चल रहा है। अतः आगामी एक वर्ष हेतु उक्त कैन्टीन का ठेका देने हेतु दिनांक 15-06-2020 को निविदा आमंत्रित की जाती है। यह ठेका एक वर्ष के लिए होगा। निविदादाता दिनांक 15-06-2020 के 12.00 बजे दोपहर तक कार्यालय में रखे गये निविदा बाक्स में अपना टेण्डर डाल सकते है। निविदा की शर्ते निम्नलिखित होगी :-

1- निविदा निजी मोहरबन्द लिफाफे में होना चाहिए, जिस पर निविदादाता का पूरा नाम व पता लिखा जायेगा।

2- निविदा के साथ रू0 5,000/- धरोहर की धनराशि संलग्न होना चाहिए, यदि टेण्डर के साथ धरोहर की धनराशि संलग्न नहीं होगी तो वह टेण्डर मान्य नहीं होगा।

3- उपरोक्त कार्य के लिए टेण्डर नियत तिथि दिनांकः 14-06-2020 तक कार्यालय अवधि में रू0 100/- नकद देकर ठेकेदार द्वारा टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते हैं। टेण्डर नियत तिथि दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में रखे गये सील्ड टेण्डर बाक्स में छपे हुये फार्म में डाले जा सकते हैं।

4- ठेकेदार द्वारा इस संस्था को प्रतिमाह रिवेट देना होगा। टेण्डर देने वाले व्यक्ति को अपने टेण्डर में यह स्पष्ट लिखना होगा कि वह कितना रिवेट संस्था को देगा। सबसे अधिक रिवेट देने वाले व्यक्ति का टेण्डर स्वीकार किया जायेगा।

5- निविदा के साथ टेण्डर दाता पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं परिवार जन की सूची पूर्ण पता सहित उनके अपराधिक इतिहास को अंकित कर मूल रूप में दर्शाये अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा।

6- जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत होगी उसे टेण्डर स्वीकृत होने पर वर्क आर्डर की प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर एक अनुबन्ध पत्र रू0 10/- की नान जुडीशियल स्टाम्प भरकर रू0 25,000/- (रूपया पच्चीस हजार) की धनराशि संस्था के आंकिक शाखा में जमा करना होगा। अनुबन्धों को मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा। ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को 06 माह का रिवेट भी अग्रिम के रूप में जमा करना होगा। कैन्टीन का कार्य वर्क आर्डर में दिये गये तिथि से शुरू करेगा।

7- यह कि रिवेट के अतिरिक्त ठेकेदार को भवन का किराया रू0 600/- प्रतिमाह, पानी व बिजली मीटर रिडिंग के अनुसार प्रतिमाह, सफाई चार्जेज रू0 200/- प्रतिमाह व जनरेटर किराया रू0 200/- प्रतिमाह देना होगा।

8- यह कि निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर जमानत धनराशि व 06 माह का अग्रिम रिवेट जमा नहीं कराया जाता है तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

9- ठेकेदार दूध, चाय, नमकीन आदि बाजार मूल्य पर आपूर्ति करेगा तथा सभी मिठाई / नमकीन स्टैण्डर्ड वेजीटेबुल घी से बनी होनी चाहिए। खाने-पीने की सामग्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुए आदि यदि आवश्यक समझी जायेगी तो संस्था प्रमुख की अनुमति से कैन्टीन में रखी जायेगी।

10- प्रत्येक वस्तु के मूल्यों की सूची का अनुमोदन कराकर सूची को कैन्टीन के मुख्य स्थान पर चस्पा करायें, जिससे कि प्रत्येक वस्तु के मूल्य की जानकारी हो सके।

11- बिना संस्था प्रमुख के अनुमोदन से यदि किसी वस्तु का मूल्य ठेकेदार द्वारा बढ़ाया जायेगा तो ठेकेदार से रूपया 5000/- का जुर्माना वसूला जायेगा।

12- कैन्टीन में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बेची जायेगी जिसका अनुमोदन नहीं लिया गया हो।

13- कैन्टीन में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता श्रेष्ठ होगी तथा बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं की पौष्टिक्ता बनाये रखी जायेगी, जिसे किसी भी समय चेक करने पर कमी पाने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

14- यह कि हर माह ठेकेदार रिवेट की धनराषि प्रत्येक माह की 03 तारीख को आंकिक के पास जमा करेगा। नियत तिथि पर रिवेट जमा न होने की स्थिति में ठेकेदार को रू0 500/- के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

15- ठेकेदार किसी ऐसे व्यक्ति को कैन्टीन में सेवायोजित नहीं करेगा जिसका अपराधिक इतिहास हो अथवा उसका चाल-चलान संदिग्ध हो या आम सोहरत अच्छी न हो।

16- यह कि ठेकेदार को ठेका देने से पूर्व जॉच की जायेगी कि ठेकेदार किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, यदि किसी भी संस्था से यह मालूम होता है कि ठेकेदार ठेका चलाने में असमर्थ है अथवा व्यवहार कुशल नहीं है तो बगैर कोई कारण बताये निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

17- यह कि ठेकेदार कैन्टीन में अथवा आस-पास किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य अथवा भवन में परिवर्तन संस्था प्रमुख की अनुमति के बिना नहीं करेगा।

18- यह कि कैन्टीन में संस्था के निर्देश पर स्वच्छता, सजावट, बैठने आदि के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

19- यह कि दूध अथवा खाने पीने की अन्य वस्तुओं को जाली के अन्दर अथवा शीशे की आलमारी में रखेगा।

20- यह कि कैन्टीन में कोई नशीली तस्करी का सामान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुए, नकली सामान या अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तुए नहीं रखेगा। कैन्टीन में ठेकेदार की अपने नौकरों की सूची में दिये गये नामों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से कैन्टीन में प्रवेश नहीं करेगा।

21- यह कि ठेकेदार कैन्टीन में रोगग्रस्त नौकर नहीं रखेगा।

22- यह कि संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा ब्याज पर कोई पैसा नहीं दिया जायेगा।

23- यह कि किसी भी प्रशिक्षार्थी को रू0 50/- तथा निरीक्षक/उ0नि0/हे0कां0/कान्स0 को रू0 200/- से अधिक का सामान उधार में नहीं दिया जायेगा। उधार वसूल करने के लिए संस्था के अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगे।

24- यह कि ठेकेदार की सहायता के लिए कोई सरकारी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जायेगा।

25- यह कि कैन्टीन खुली होने पर किसी भी समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा मनोनीत राजपत्रित अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना दिये कैन्टीन का निरीक्षण कर सकेगा।

26- यह कि ठेकेदार कैन्टीन का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं कर सकता है।

27- यह कि कैन्टीन खुलने अथवा बन्द होने का समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

28- यह कि ठेकेदार यदि किसी अनुबन्ध की शर्त का उल्लघंन करता है अथवा खराब वस्तुए या अधिक रेट पर बेचने की शिकायत मिलती है या किसी प्रशिक्षण अधिकारी, कर्मचारी के साथ दुर्व्यहार करता है अथवा संस्था के प्रचलित नियमों को तोड़ता है, प्रशासनिक आदेशों का उल्लघंन करता है या ऐसा करने को किसी. को बढ़ावा देता है तो संस्था प्रमुख को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के ऊपर रू0 100/- का एक समय में जुर्माना कर सकते है। गम्भीर शिकायत पाये जाने पर संस्था द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकता है।

29- कैन्टीन के लिए कोई राशन का सामान इस संस्था द्वारा प्रदान नहीं किया जायेगा।

30- यह कि किसी भी समय संस्था प्रमुख द्वारा एक माह की नोटिस दिये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकता है।

31- यह कि यदि ठेकेदार ने पहले कहीं कैन्टीन चलाया हो या चला रहा है तो उसका विवरण देगा।

32- कोई भी टेण्डर बिना कारण अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

33- टेण्डर की तिथि 15-06-2020 को ही अपरान्ह 16.00 बजे टेण्डर दाता के समक्ष नामित अधिकारी द्वारा टेण्डर खोला जायेगा।

संख्याः ठ-10/2020
दिनांकः मई 06, 2020

6/5/2020
(शफीक अहमद)
पुलिस अधीक्षक,
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,
सीतापुर ।